रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269617
SG-DL-E-28012026-269617

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	दिल्ली, , मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 433
No. 24]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 433

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

फा0 सं0 21(183)/प्रशि0 प्रशा0/भर्ती नियम (डब्ल्यू/एस गण0 एवं विज्ञा0)/2022/168.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 04/7/2014 की अधिसूचना संख्या फा0 21(68)/भर्ती नियम/अनु0/गणित/2008/प्रशि0 प्रशा0/604 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात्, एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में **कार्यशाला गणना तथा विज्ञान अनुदेशक** के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को कार्यशाला गणना तथा विज्ञान अनुदेशक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यशाला गणना तथा विज्ञान अनुदेशक	66' (2025) 'इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (रुपये 35,400–1,12,400/–)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
7	8	9	10
अनिवार्य योग्यता तथा अनुभव :	**आयु** : लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(i) एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी कॉलेज/विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक/डिग्री के साथ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय से या तो शिक्षण/ प्रशिक्षण में एक वर्ष का अनुभव अथवा अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् किसी सरकारी पंजीकृत कार्यशाला/उद्योग/संगठन में पर्यवेक्षक/अभियंता के रूप में कार्य किया हो। या एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस डिप्लोमा (व्यवसायिक) के साथ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज/ विश्वविद्यालय से या तो शिक्षण/ प्रशिक्षण में दो वर्ष का अनुभव अथवा अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् किसी सरकारी पंजीकृत कार्यशाला/उद्योग/संगठन में पर्यवेक्षक/अभियंता के रूप में कार्य किया हो। या किसी अभियांत्रिकी ट्रेड में एनटीसी/एनएसी के साथ किसी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/कॉलेज/ विश्वविद्यालय से या तो शिक्षण/प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव अथवा अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् किसी सरकारी पंजीकृत कार्यशाला/उद्योग/संगठन में पर्यवेक्षक/अभियंता के रूप में कार्य किया हो। और (ii) किसी भी अभियांत्रिकी ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी) । या डीजीटी के अन्तर्गत ड्राइंग तथा अकंगणित (आरओडीए) के अध्ययन में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र (एनसीआईसी) । **टीप 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2**: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।	**शैक्षिक योग्यता** : लागू नहीं	**टीप** :– परिवीक्षा को पूर्ण करने हेतु संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।	**टीप**:– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी। क. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; तथा ख. कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
11	12	13

लागू नहीं	**विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (**अध्यक्ष**) 2. संबंधित विभाग के प्रशाासनिक सचिव (**सदस्य**) 3. संबंधित विभागाध्यक्ष (**सदस्य**) 4. विशेष/अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (**सदस्य**)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पांडुरंग के0 पोल, सचिव (प्रशि0 एवं तक0 शि0)

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

OTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2026

No. F.21(183)/Trg. Admn./RR(W/S Cal. & Sc.)/2022/168.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R. 840 dated the 13thJuly, 1959 and in supersession of the Notification F.No.21(68)/RR-Instt./Maths/2008-Trg. Admn/604 dated 04.07.2014, issued by the Government except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Workshop Calculation and Science Instructor in the Training Wing under the Directorate of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement:- (i)** These rules may be called the Workshop Calculation and Science Instructor Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

   Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

2. **Method of Recruitment, Age limit and other qualification:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

3. **Disqualifications**:- No person,

   (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

4. **Power to relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

5. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non Selection Post
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Workshop Calculation and Science Instructor	66* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group, B	Level-6 (Rs. 35400-112400/-) of the Pay Matrix	Not applicable

Age limits for Direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any
6	**7**	**8**	**9**
Not exceeding 30 Years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.	**Essential Qualification and Experience:** (i) B.Voc/Degree in Engineering from AICTE/UGC recognized Engineering College/University with one year experience either in teaching/training from a Govt. recognized training Institute/College/ University or worked as supervisor/Engineer in a Govt. registered workshop/industry/organization after acquiring the requisite qualification. **OR** Three years Diploma in Engineering from AICTE/recognized Board of Technical Education or relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT with two years experience either in teaching/training from a Govt. recognized training Institute/College/University or worked as supervisor/Engineer in a Govt. registered workshop/ industry/organization after acquiring the requisite qualification. **OR** NTC/NAC in any of the engineering trades with three years experience either in teaching/training from a Govt. recognized training Institute/College/University or worked as supervisor/ Engineer in a Govt. registered workshop/industry/organization after acquiring the requisite qualification. **AND** (ii) National Craft Instructor Certificate (NCIC) in any of the Engineering trade **OR** National Craft Instructor Certificate (NCIC) in Reading of Drawing and Arithmetic (RoDA) Trade under DGT **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribes if any at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age: Not Applicable Educational Qualification: Not Applicable	2 Years **Note:** Successful completion of Mandatory induction training of two weeks as prescribed by Cadre Authority is must for probation clearance.
Method of recruitment, whether by direct	**In case of recruitment By promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists,**	**Circumstances in which Union Public Service**

recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		**what is its composition**	**Commission to be consulted in making Recruitment**
10	**11**	12	13
100 percent by Direct Recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government / State Government / Union Territories: A. Holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre / Department; And B. Possessing educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall	**Not Applicable**	Departmental Confirmation Committee 1. Financial Commissioner, GNCTD (Chairman) 2. Administrative Secretary of the concerned Department (member) 3. Head of Department Concerned (member) 4. Special/Addl. Secretary (GAD), GNCTD (member)	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).			

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PANDURANG K.POLE, Secy. (TTE)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA